

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)  
भागिरथ उसाद बनाम गोरधन कुमार  
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 252/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4.6.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / भीमती <u>भागिरथ उसाद</u>  <del>स्वदेवी प्रसाद</del>        पिता श्री <u>सरजू साह</u></p> <p>निवासी- <u>चित्रकुट कालेजी</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>चित्तौड़ी</u>  <u>प.ड. ऐराज</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....  <u>267</u>, <u>441/266</u>  <u>0.83</u>, <u>0.1</u></p> <p>कुल कीता <u>0.2</u> कुल रकबा <u>0.9300</u> है0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>चित्तौड़ी (ऐराज)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>267</u>, <u>441/266</u>  <u>0.83</u>, <u>0.1</u></p> <p>कुल कीता <u>0.2</u> रकबा <u>0.93</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(वीनू देवल)        सहायक कलेक्टर एच        उपखण्ड अधिकारी        चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>